रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 1981/पौष 23, 1902
No. 21] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 1981/PAUSA 23, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1981

का० आ० 25(अ).—उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, औद्योगिक उपक्रम रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 के नियम 10 के उपनियम (2) के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 163(अ०)/आर० एल० आई० यू०/10(2)/76, तारीख 3 मार्च, 1976 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम अनुमोदन बोर्ड

अध्यक्ष

(1) सचिव, वाणिज्य मंत्रालय।

सदस्य

(2) सचिव, औद्योगिक विकास विभाग या उसका नामनिर्देशिती।

(3) सचिव, कम्पनी कार्य विभाग या उसका नामनिर्देशिती।

(4) सचिव, योजना आयोग या उसका नामनिर्देशिती।

(5) सचिव, वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग या उसका नामनिर्देशिती।

(6) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग या उसका नामनिर्देशिती।

(7) सचिव, तकनीकी विकास, तकनीकी विकास महानिदेशालय या उसका नामनिर्देशिती।

(8) अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड या उसका नामनिर्देशिती।

(9) विकास आयुक्त, लघु उद्योग या उसका नामनिर्देशिती।

(10) आयात और निर्यात का मुख्य नियंत्रक या उसका नामनिर्देशिती।

(11) संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय का सचिव या उसका नामनिर्देशिती।

सदस्य-सचिव

(12) औद्योगिक अनुमोदनों के लिए सचिवालय का भारसाधक संयुक्त सचिव

सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम के लिए अनुमोदन बोर्ड के कृत्य

1. बोर्ड, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1 खंड 1 में तारीख 31 दिसम्बर, 1980 को प्रकाशित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के संकल्प सं० 8(15)/78-ई० पी० तारीख 31 दिसम्बर, 1980 के अधीन विरचित सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटों की स्थापना के लिए विशेष सुविधा स्कीम के अधीन उनसे भिन्न जो काडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र और सान्ताक्रुज इलैक्ट्रानिक्स निर्यात संस्करण क्षेत्र के लिए है, औद्योगिक अनुज्ञप्ति अनुमोदनों के लिए, जिसके अंतर्गत विदेशी सहयोग और

पूंजीगत माल के निर्यात के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन भी है, सभी आवेदनों पर विचार करेगा।

2. बोर्ड वास्तविक क्षमता चालू करने के प्रक्रम तक उक्त स्कीम के अधीन मंजूर किए गए आशय पत्रों और औद्योगिक अनुज्ञप्तियों के कार्यान्वयन की प्रगति का पुनर्विलोकन करेगा।

3. बोर्ड उक्त स्कीम के अधीन प्राप्त हुए आवेदनों से या उसके अधीन व्यष्टिगत प्रस्थापनाओं के कार्यान्वयन से प्रादुर्भूत पालिसी संबंधी प्रश्नों पर विचार करेगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिकथित पालिसी के अनुसार उनका समाधान करेगा।

4. बोर्ड अपने विवेकानुसार किसी समुचित प्राधिकारी के विचारार्थ और विनिश्चय के लिए ऐसा कोई मामला निर्देशित कर सकेगा जो उसकी क्षमता के अन्दर आने वाले मामलों की बाबत हो।

5. बोर्ड, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत किए जा सकने वाले औद्योगिक उपक्रमों की बाबत, औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 के नियम 10 के उपनियम (2) के अधीन नियुक्त अनुज्ञापन समिति की शक्तियों का प्रयोग करेगा और उक्त अधिनियम की धारा 21 और 22 के अधीन आवेदनों की सूचनाओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करेगा।"

[फाइल सं० 10/35/80-एल० पी०]

बी० राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 1981

S.O. 25(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 10 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, the Ministry of Industry, Department of Industrial Development, hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the former Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 163(E)/RLIU/10(2)/76, dated the 3rd March, 1976, namely :—

In the said notification, the following shall be added at the end, namely :—

"Board of Approval for Hundred Percent Export-Oriented Undertakings.

CHAIRMAN

(1) Secretary, Ministry of Commerce.

MEMBERS

(2) Secretary, Department of Industrial Development or his nominee.

(3) Secretary, Department of Company Affairs or his nominee.

(4) Secretary, Planning Commission or his nominee.

(5) Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs or his nominee.

(6) Secretary, Department of Science and Technology or his nominee.

(7) Secretary, Technical Development, Directorate General of Technical Development or his nominee.

(8) Chairman, Central Board of Excise and Customs or his nominee.

(9) Development Commissioner, Small Scale Industries or his nominee.

(10) Chief Controller of Imports and Exports or his nominee.

(11) Secretary of the administrative Ministry concerned or his nominee.

MEMBER-SECRETARY

(12) Joint Secretary in-charge of Secretariat for Industrial Approvals.

Functions of the Board of Approval for Hundred Percent Export-Oriented Undertakings

1. The Board shall consider all applications for industrial licence approvals including approval of proposals for foreign collaboration and import of capital goods, other than those for Kandla Free Trade Zone and Santa Cruz Electronics Export Processing Zone, under the scheme of special facilities for setting up hundred percent export oriented units framed under the Government of India, Ministry of Commerce, Department of Commerce Resolution No. 8(15)/78-E.P. dated 31st December, 1980, published in the Gazette of India Extraordinary, 1980 Part I, Section 1, dated the 31st December, 1980.

2. The Board shall review the progress of implementation of letters of intent and industrial licences granted under the said scheme upto the stage of actual commissioning of capacity.

3. The Board shall consider policy questions arising from applications received under the said scheme or from the implementation of individual proposals thereunder and resolve them in accordance with the policy laid down by the Central Government from time to time.

4. The Board may refer any matter in its discretion for the consideration and decision of the appropriate authority in respect of matters falling within its competence.

5. The Board shall exercise the powers of the Licensing Committee appointed under sub-rule (2) of rule 10 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, in respect of industrial undertakings registered or registerable under the Monopolices and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) and report to the Central Government in regard to notices of applications under sections 21 and 22 of the said Act."

[F. No. 10/35/80-LP]

B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981